

## ORDER - SHEET

Case no 74 of/2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.12.2017	<p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में पेश। अपीलार्थी विष्णु अग्रवाल सहित श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी शिवचरनलाल गुप्ता सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने का आवेदन तथा डॉकेट एवं आवेदनपत्र का फॉर्म भरकर प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त विष्णु अग्रवाल की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसको व्यवसाय में काफी छति हुई है और वह समझौता राशि जमा करने की स्थिति में नहीं है। समझौता राशि माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है। सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में राजीनामा हो रहा है। अतः चैक की कुल राशि पांच लाख रुपए के 15 प्रतिशत की राशि में से 13.5 प्रतिशत की राशि तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा नेशनल लोक अदालत को देखते हुए माफ की जाती है। परंतु 1.5 प्रतिशत की समझौता राशि 7500 रुपए की राशि जमा कराये। प्रकरण पुनः पेश हो।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत खण्डपीठ क. 20</p> <p>पुनश्च: अभियुक्त की ओर से 7500 रुपए की राशि जमा करायी गयी। राजीनामा के संबंध में शिवचरनलाल गुप्ता के कथन लिये गये। राजीनामा पर विचार किया गया। उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है और अभियुक्त के द्वारा परिवाद में संपूर्ण राशि अदा कर दी गयी है। अभियुक्त को श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता ने पहचाना है और प्रत्यर्थी शिवचरनलाल गुप्ता को श्री प्रवीण गुप्ता ने पहचाना है। अतः राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। राजीनामा लोक नीति के विरुद्ध न होने के कारण स्वीकार किया</p>	

गया। उक्त राजीनामा के आधार पर अपीलार्थी और अभियुक्त मै० सिंघल ट्रेडिंग कंपनी, मुरैना द्वारा विष्णु अग्रवाल के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है, जिसका परिणाम इस प्रकरण के आधार पर 1387 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत अभियुक्त विष्णु अग्रवाल की दोषमुक्ति होगी।

उभयपक्ष ने व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय में समझौता 1,77,500/- रुपए की राशि जमा है। उक्त राशि विचारण न्यायालय के द्वारा परिवादी शिवचरनलाल गुप्ता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसे वापिस दी जावे।

उपरोक्त राजीनामा के आधार पर मूल अभिलेख प्रकरण क्रमांक [558/11](#) उनवान मै० गागिल ट्रेडिंग कंपनी गोहद बनाम मै० सिंघल ट्रेडिंग कंपनी मुरैना में की गयी अभियुक्त शिवचरनलाल गुप्ता के आधार पर 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के तहत की गयी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अप्राप्त किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

अतः आदेश की प्रति पक्षकारों को निशुल्क प्रदान की जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(महेशचन्द्र श्रीवास्वत) (पुष्पराम सिंह गुर्जर)  
सदस्य सदस्य

(मोहम्मद अजहर)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
खण्डपीठ क्र. 20